रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 1, 1987/पौष 11, 1908

No. 1] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 1987/PAUSA 11, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1987

अधिसूचना

सा. का. नि. 1(अ):—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 76 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परतुन्क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विधि अधिकारी (सेवा की शर्तें) नियम, 1972 को अधिक्रांत करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत के महान्यायवादी, भारत के महा सालिसिटर और भारत के अपर महासालिसिटर के पारिश्रमिक कर्तव्यों और अन्य निबंधनों और शर्तों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि अधिकारी (सेवा की शर्तें) नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "महान्यायवादी" से संविधान के अनुच्छेद 76 के खण्ड (1) के अधीन भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत भारत के महान्यायवादी के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति भी है।

(ख) "महासालिसिटर" से भारत के महासालिसिटर के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ग) "अपर महासालिसिटर" से भारत के अपर महासालिसिटर के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ; और

(घ) "विधि अधिकारी" से अभिप्रेत है इसके अन्तर्गत है भारत का महान्यायवादी, भारत का महासालिसिटर और भारत का अपर महासालिसिटर।

3. (1) विधि अधिकारी, अपने पद ग्रहण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु यह कि—

(क) जहां भारत के अपर महासालिसिटर का पद तीन वर्ष से कम अवधि के लिए सृजित किया जाता है वहां, ऐसे पद पर नियुक्त व्यक्ति उतनी अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके लिए ऐसा पद सृजित किया गया है ;

(ख) किसी विधि अधिकारी की नियुक्ति, को, उसकी पदावधि के दौरान किसी भी समय, किसी भी पक्ष की ओर से तीन मास की सूचना देकर समाप्त किया जा सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति जिसने विधि अधिकारी के रूप में पद धारण किया है या जो विधि अधिकारी के पद धारण करता हो, अपनी पदावधि की समाप्ति पर तीन वर्ष से अनधिक की और अवधि के लिए उस पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

4. मुख्यालय—(1) विधि अधिकारी का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

(2) कोई विधि अधिकारी, भारत सरकार की अनुज्ञा से, उच्चतम न्यायालय के अवकाश के दौरान अपना मुख्यालय छोड़ सकेगा। परन्तु जब कभी भारत सरकार द्वारा अपेक्षित हो वह कर्तव्यों के लिए स्वयं को उपलब्ध करेगा।

5 कर्तव्य—किसी विधि अधिकारी का निम्नलिखित कर्तव्य होगा :—

(क) ऐसे विधिक मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करना जो भारत सरकार द्वारा समय समय पर उसे निर्दिष्ट किए जाएं या सौंपे जायें :

(ख) भारत सरकार की ओर से ऐसे मामलों में (जिनमें वाद, रिट याचिकाएं, अपीलें और अन्य कार्यवाहियां सम्मिलित हैं), जिनमें भारत सरकार किसी पक्षकार के रूप में संबंधित है या अन्यथा हितबद्ध है, उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में जब कभी अपेक्षित हो, उपसंजात होना;

(ग) संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय को किए गए किसी निर्देश में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना ; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन किसी विधि अधिकारी को प्रदत्त किए गए हों।

स्पष्टीकरण—इस नियम और 8 के उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए, "भारत सरकार" पद के अन्तर्गत किसी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार भी है।

6. छुट्टी का हकदार होना—भारत सरकार किसी विधि अधिकारी को ऐसी छुट्टी मंजूर कर सकेगी जैसी वह ठीक समझे।

7. प्रतिधारण फीस और भत्ते:—(1) नियम 5 में उल्लिखित कर्तव्यों के अनुपालन के लिए किसी विधि अधिकारी को निम्नलिखित संदाय किया जाएगा—

(क) प्रतिधारण उसकी छुट्टी की अवधि के दौरान के सिवाय;

(i) भारत के महान्यायवादी के मामले में प्रति मास पांच हजार रुपये;

(ii) भारत के महासालिसिटर के मामले में प्रति मास चार हजार रुपये ; और

(iii) भारत के अपर महासालिसिटर के मामले में प्रति मास तीन हजार पांच सौ रुपये ; तथा

(ख) उसकी छुट्टी की अवधि के दौरान के सिवाय, प्रति मास एक हजार रुपये का कार्यालय भत्ता;

(ग) भारत सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, जांच आयोग/अधिकरण आदि के समक्ष मामलों में उपसंजात होने के लिए निम्नलिखित परिमाणों पर फीस, अर्थात्—

क्रम सं.	कार्य की मद का नाम	उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों (जिसके अन्तर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय है) और कोई अन्य न्यायालय (उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से भिन्न) या किसी अधिकरण या जांच आयोग या माध्यस्थम के समक्ष मामलों में उपसंजाति और अन्य कार्य के लिए देय फीसों की दरें
1	2	3
(i)	वाद, रिट याचिकाएं, अपीलें और अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश	प्रतिदिन प्रति मामला 2,000 रु०
(ii)	विशेष इजाजत पिटीशनें और अन्य आवेदन	प्रतिदिन प्रति मामला 1500 रु.

1	2	3
(iii)	अभिवचनों को तय करना (जिन के अन्तर्गत शपथपत्र हैं)	प्रति अभिवचन 1000 रु.
(iv)	मामले का कथन तय करना	प्रति मामला 1000 रु.
(v)	विधि मंत्रालय द्वारा भेजे गए मामलों के कथनों में राय देने के लिए	प्रति मामला 2000 रु.
(vi)	उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जांच आयोगों अधिकरण के समक्ष लिखित निवेदनों के लिए	प्रति मामला 2000 रु.

स्पष्टीकरण—(1) यदि सारतः एक जैसे विषयों के अन्तर्वलित करने वाले दो या दो से अधिक मामलों का समान अभिवचनों के साथ सुनवाई को जाती है तो विधि अधिकारी एक फीस का हकदार होगा जैसा कि एक मामले के लिए होता है।

(2) विधि अधिकारियों को किसी उच्च न्यायालय या अधिकरण या जांच आयोग या माध्यस्थम के समक्ष उपसंजात होने के संबंध में मुख्यालय से अपनी अनुपस्थिति के दिनों के लिए, जिसके अन्तर्गत मध्यवर्ती छुट्टियों से प्रस्थान और मुख्यालय वापस पहुंचने के दिन भी हैं, उपर्युक्त (1) के अधीन रहते हुए, प्रतिदिन प्रति मामला दो हजार रुपए फीस संदेय होगी, किन्तु प्रस्थान के दिन के लिए यदि वह न्यायालय के कार्य समय के पश्चात जाता है या पहुंचने के दिन न्यायालय के कार्य समय से पूर्व मुख्यालय पहुंचता है, तो फीस का संदाय नहीं किया जाएगा।

(घ) भारत के महान्यायवादी को, उसकी छुट्टी की अवधि के दौरान के सिवाय, प्रतिमास पांच सौ रुपए सत्कार-भत्ता संदत्त किया जाएगा।

(ङ) जहां विधि अधिकारी से अपने कर्तव्यों के क्रम में मुख्यालय से बाहर यात्रा करने की अपेक्षा की जाती है वहां, उसे यात्रा पर और भोजन तथा आवास पर उपगत वास्तविक व्ययों का संदाय किया जाएगा या उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(च) यदि किसी विधि अधिकारी से नियम 5 में निर्दिष्ट कर्तव्यों से भिन्न कोई कर्तव्य करने की अपेक्षा की जाती है, जैसे कि जब वह मध्यस्थ का या दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात राय देने का कार्य करता है जिसमें एक पक्ष भारत सरकार है, तो उसे ऐसी फीस का संदाय किया जाएगा जैसा सरकार अवधारित करे।

8. निर्बन्धन (1) कोई विधि अधिकारी—

(क) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या किसी विश्वविद्यालय, सरकारी विद्यालय या महाविद्यालय, स्थानीय प्राधिकरण, लोक सेवा आयोग, पत्तन न्यास, पत्तन आयुक्त, सरकारी सहायताप्राप्त या सरकार के प्रबंधाधीन अस्पताल, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित कोई सरकारी कंपनी, सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में कोई निगम, ऐसा कोई निकाय या संस्था जिसमें सरकार का प्रमुख हित है, के सिवाय किसी पक्ष के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद धारण नहीं करेगा ;

(ख) भारत सरकार के विरुद्ध या ऐसे मामले में जिसमें उस से भारत सरकार को सलाह देने या उसकी ओर से उपसंजात होने के लिए की संभावना है, किसी पक्ष को सलाह नहीं देगा ;

(ग) भारत सरकार की अनुज्ञा के बिना किसी अभियुक्त व्यक्ति का दाण्डिक अभियोजन में प्रतिवाद नहीं करेगा ; या

(घ) भारत सरकार की अनुज्ञा के बिना किसी कंपनी या निगम में किसी पद पर नियुक्ति स्वीकार नहीं करेगा।

(2) जहां कोई विधि अधिकारी भारत संघ के निकायों जैसे निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग आदि की ओर से उपसंजात होता है या उनके लिए अन्य कार्य करता है वहां वह नियम 7 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में उल्लिखित मापमानों पर ही फीस प्राप्त करने का हकदार होगा।

9. परिलब्धियां—निजी कर्मचारिवृन्द, कार्यालय स्थान और विधि अधिकारी के कार्यालय और निवास पर टेलीफोन की सेवाएं भारत सरकार द्वारा मुफ्त दी जायेंगी :

परन्तु यह कि विधि अधिकारी, उसके निवास पर के टेलीफोन से, शासकीय प्रयोजनों के लिए की गई टेलीफोन कालों से भिन्न के लिए संदाय करने का दायी होगा यदि ये ऐसी टेलीफोन कालों की संख्या से या निवास पर के टेलीफोन की बाबत टेलीफोन कालों के ऐसे प्रभारों से जैसा सरकार इस बारे में, समय समय पर अवधारित करे अधिक हो जाते हैं।

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजन के लिए, वैयक्तिक कर्मचारिवृन्द से अभिप्रेत है :—

(1) समुचित ग्रेड में कोई निजी सचिव, आशुलिपिक, और जमादार।

(2) विधि अधिकारी के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर नियत प्राविक किराये के संदाय पर उपयुक्त वाहन सुविधा की व्यवस्था की जाएगी।

10. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध का आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

[सं. एफ 18(1)/86-न्याय.]

ओ. वी. जे. कृष्णमूर्ति, संयुक्त सचिव,
और विधि सलाहकार भारत सरकार

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 1st January, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 1(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with article 76 of the Constitution and in supersession of the Law Officers (Conditions of Service) Rules, 1972, except as respects things done or omitted to have been done, the President hereby makes the following rules, regulating the remuneration, duties and other terms and conditions of the Attorney-General for India, the Solicitor-General for India and the Additional Solicitor-General for India, namely :—

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Law Officers (Conditions of Service) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Attorney-General" means the person appointed under clause (1) of Article 76 of the Constitution as the Attorney-General for India and includes any person appointed to act temporarily as the Attorney-General for India;

(b) "Solicitor-General" means a person appointed as the Solicitor-General for India;

(c) "Additional Solicitor-General" means a person appointed as the Additional Solicitor-General for India; and

(d) "Law Officer" means and includes the Attorney General for India, the Solicitor-General for India, and Additional Solicitors-General for India.

3. Term of Office—(1) A Law Officer shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office.

Provided that—

(a) where the post of Additional Solicitor-General for India has been created for a period of less than three years, the person appointed to such post shall hold office for the period for which such post has been created;

(b) the appointment of a Law Officer may, at any time during his term of office, be terminated by three months' notice in writing by either side.

(2) A person who has held or who holds office as a Law Officer shall, on the expiration of his term of office, be eligible for re-appointment to that office for a further term not exceeding three years.

4. Headquarters.—(1) The Headquarters of a Law Officer shall be at New Delhi;

(2) A Law Officer may, with the permission of the Government of India, leave the headquarters during the vacation of the Supreme Court :

Provided that he shall make himself available for duties whenever required by the Government of India.

5. Duties—It shall be the duty of a Law Officer—

(a) to give advice to the Government of India upon such legal matters, and to perform such other duties of a legal character, as may from time to time, be referred or assigned to him by the Government of India;

(b) to appear, whenever required, in the Supreme Court or in any High Court on behalf of the Government of India in cases (including suits, writ petitions, appeal and other proceedings) in which the Government of India is concerned as a party or is otherwise interested;

(c) to represent the Government of India in any reference made by the President to the Supreme Court under Article 143 of the Constitution; and

(d) to discharge such other functions as are conferred on a Law Officer by or under the Constitution or any other Law for the time being in force.

Explanation :—For the purpose of this rule and Sub-rule (1) of rule 8, the expression "Government of India" includes the Government of a Union Territory also.

6. Entitlement of Leave.—The Government of India may grant to a Law Officer such leave as it may deem fit.

7. Retainer, fee and allowances—(1) For the performance of the duties mentioned in rule 5, a Law Officer shall be paid—

(a) a retainer, except during the period of his leave,

(i) in the case of the Attorney-General for India, of rupees five thousand per month;

(ii) in the case of the Solicitor-General for India, of rupees four thousand per month; and

(iii) in the case of the Additional Solicitor General for India, of rupees three thousand and five hundred per month: and

(b) an office allowance of rupees one thousand per month, except during the period of his leave;

(c) a fee for appearance and other work on behalf of the Government of India in cases before the Supreme Court, various High Courts, Commissions of Inquiry|Tribunals etc., on the following scales, namely:

S. No.	Nomenclature of the item of work.	Rates of fees payable for appearance and other work in cases before the Supreme Court, High Courts (including Delhi High Court) and any Court (other than the Supreme Court or High Court) or a Tribunal or a Commission of Inquiry or an Arbitrator.
1	2	3
(i)	Suits, with petitions, appeals and references under Article 143.	Rs. 2000/- per case per day.
(ii)	Special leave petitions and other applications.	Rs. 1500/- per case per day.
(iii)	Settling pleadings (including affidavits).	Rs. 1000/- per pleading.
(iv)	Settling statement of case.	Rs. 1000/- per case.
(v)	For giving opinions in statements of case sent by the Ministry of Law.	Rs. 2000/- per case.
(vi)	For written submissions before the Supreme Court, High Court and Commissions of Inquiry/Tribunals.	Rs. 2000/- per case.

Explanation : (1) If two or more cases involving substantially identical questions are heard together with common arguments, Law officer shall be entitled to only one fee as for a single case.

(2) A daily fee of rupees two thousand per case, subject to (1) above shall be payable to Law Officers for the days of his absence from the headquarters in connection with appearance in any High Court, or a Tribunal or a Commission of Inquiry or an Arbitrator, including the days of departure from, intervening holidays and arrival back at the headquarters, but no fee shall be paid for the day of departure if he leaves the headquarters after court hours or for the day of arrival, if he arrives at the headquarters before court hours.

(d) the Attorney-General for India shall be paid an entertainment allowance of rupees five hundred per month, except during the period of his leave.

(e) where a Law Officer is required to perform journeys outside the headquarters in the course of his duties he shall be paid or reimbursed tthe actual expenses incurred on travelling and on board and lodging.

(f) If a Law Officer is called upon to perform any duty other than those referred to in rule 5, such as acting as Arbitrator or giving opinion after hearing both the sides, one being the Government of India, he shall be paid such fee as may be determined by the Government.

8. Restrictions.—(1) A Law officer shall not :—

(a) hold briefs in any Court for any party except the Government of India or the Government of a State or any University, Government School or College, local authority, Public Service Commission Port Trust, Port Commissioners, Government aided or Government managed hospitals, a Government company as defined in Section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), any Corporation owned or controlled by the State, any body or institution in which the Government has a preponderating interest;

(b) advise any party against the Government of India or in cases which he is likely to be called upon to advise, or appear for, the Government of India;

(c) defend an accused person in a criminal prosecution, without the permission of the Government of India; or

(d) accept appointment to any office in any company or corporation without the permission of the Government of India.

(2) Where a Law Officer appears or does other work on behalf of bodies of Union of India such as the Election Commission, the Union Public Service Commission etc. he shall only be entitled to fees on the scales mentioned in clause (c) of sub-rule (1) of rule 7.

9. Perquisites.—(1) The services of personal staff, office accommodation and telephones at the office and residence of a Law Officer shall be provided by the Government of India free of cost :

Provided that a Law Officer shall be liable to make payment for the telephone calls, other

than the telephone calls for official purposes, made from his residential telephone, if they exceed such number of telephone calls or such charges for telephone calls in respect of the residential telephone as the Government of India may, from time to time, determine in this regard;

Explanation.—For the purpose of this rule "personal staff" means :—

(i) a Private Secretary in the appropriate grade, a Stenographer, and a Jamadar.

(2) A Law Officer would be provided by the Government of India suitable residential accommodation on payment of usual rent fixed by the Government from time to time.

10. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules.

[No. F. 18(1)|86-Judl.]

G. V. G. KRISHNAMURTHY Jt. Secy. and Legal Adviser to the Govt. of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987